संख्या–1787 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह एवं कारागार विभाग,
उ0प्र0 शासन

चिकित्सा अनुभाग – 5 लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर, 2020

विषयः–प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों में कोविड–19 रोग के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड–19 रोग का प्रसार चल रहा है। हाल के कुछ दिनों में कई जनपदों यथा–झांसी, सोनभद्र, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद इत्यादि की जेलों के बन्दियों में व्यापक संक्रमण के प्रकरण सामने आए है। उपयुक्त होगा कि प्रदेश की जेलों में निम्न प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करवाया जाएः–

1. जेल में आने वाले नये कैदियों को अनिवार्य रुप से पृथक ट्रायज एरिया / होल्डिंग एरिया/अस्थायी जेलों में रख कर उनकी अनिवार्य रुप से rtPCR विधि से जांच कराई जानी चाहिये एवं उनके खाने–पीने एवं शौंचालय की पृथक व्यवस्था होनी चाहिये। इस एरिया में सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन होना चाहिये तथा मास्क एवं सैनीटाईजर का प्रयोग सुनिश्चित होना चाहिये जिससे कैदियों में संक्रमण को रोका जा सके।

   इन कैदियों की नियमित थर्मल स्क्रीनिंग कराई जानी चाहिये तथा बुखार एवं खाँसी के लक्षण वाले व्यक्तियों को पृथक कर तत्काल एण्टीजेन टेस्ट कराते हुये अलग कक्ष में क्वारेन्टाईन रखें तथा एण्टीजेन टेस्ट ऋणात्मक आने की दशा में भी अनिवार्य रुप से rtPCR विधि से भी जांच कराया जाये।

   उपरोक्त समस्त कैदियों कीrtPCR जांच ऋणात्मक आने की दशा में ही उनको मुख्य जेल में अन्य कैदियों के साथ भेजा जाये।
2. किसी भी कैदी में लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल जांच कराकर अलग कक्ष में क्वारेन्टाईन किया जाना चाहिये।
3. rtPCR जांच धनात्मक आने की दशा में लक्षणविहीन कैदी को पृथक कर अलग कक्ष में आईसोलेट किया जाए, जिसके लिये आवश्यकतानुसार पृथक कक्ष चिन्हित किया जाए। लक्षणयुक्त धनात्मक कैदी को चिकित्सालय में रख कर पूरी सावधानी के साथ उपचारित किया जाये जहां आवश्यक औषधियां एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता हो।धनात्मक पाये गये कैदी के कक्ष में साथ रह रहे अन्य कैदियों की अनिवार्य रुप से rtPCR विधि से जांच कराई जाये तथा उक्त कक्ष का 5 प्रतिशत हाइपोक्लोराईट सॉल्यूशन से विसंक्रमणीकरण कराया जाये।

4. गर्भवती महिला कैदी एवं ऐसी महिला कैदी जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उन महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाये तथा यथासम्भव अन्य सामान्य कैदियों से पृथक रखा जाये।
5. जेल में कार्यरत समस्त स्टाफ, मुख्यतः किचन स्टाफ तथा अन्य सुरक्षा कर्मी, जो जेल में रह रहे कैदियों से सीधे सम्पर्क में आते हैं उनकी दो सप्ताह की शिफ्टवार ड्यूटी लगाते हुये उनको जेल प्रांगण में ही पृथक भवन अथवा निकट के किसी भवन में एक्टिव क्वारेन्टाईन में रखा जाये जिससे उनके द्वारा प्रतिदिन बाहर से संक्रमण लाने की सम्भावना को नगण्य किया जा सके। दो सप्ताह बाद तैनात की जाने वाली दूसरी टीम पहले से ही चिन्हित कर ली जाये, टीम के सभी सदस्य लक्षणविहीन हों तथा ड्यूटी पर आने से पूर्व आवश्यकतानुसार उनकी जांच कराई जाये।
6. जेल में निरुद्ध कैदियों में अन्य बीमारियों (कोमॉर्बिडिटी) से ग्रसित कैदियों का आवश्यक उपचार के साथ विशेष ध्यान रखा जाये तथा आपस में सभी कैदियों में यथासम्भव सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने, मास्क पहनने एवं बार–बार हाथ धोने की प्रथा को बढ़ावा दिया जाये।

कृपया अपने स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

1.9.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1787 / पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

01/09/20
1/9/2020

go pankaj com-3